MBTP/DY, No-2

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section(ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2016

S.O.______ (E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the West Bengal Pollution Control Board, a body constituted by the Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to the Board, namely:-

a) consent fees or no objection certificate fees;
b) analysis fees on air quality and water quality or noise level survey fees;
c) authorisation fees;
d) cess re-imbursement and cess appeal fees;
e) reimbursement of the expenses received from the Central Pollution Control Board towards National Air Monitoring Program, the Monitoring of Indian National Aquatic resources and like schemes;
f) sale of books relating to environmental law, regulations, important judicial orders and environmental issues where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
g) interest on deposits;
h) public hearing fees;
i) vehicle emission monitoring test fees;
j) fees received for processing by State Environmental Impact Assessment Authority;
k) fees collected for training conducted by the Environmental Training Institute of the Board where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
l) fees received under the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and appeal fees;
m) interest on loans and advances given to staff of the Board;
n) pollution cost or forfeiture of bank guarantee due to non-compliance; and
o) miscellaneous income including sale of old or scrap items, tender fees and other matters relating thereto, where no profit element is involved.

2. This notification shall be subject to the conditions, namely:-
(a) the West Bengal Pollution Control Board shall not engage in any commercial activity;
(b) the activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) the return of income shall be filed in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

3. This notification shall be applicable with respect to the specified income of the West Bengal Pollution Control Board in the Financial Years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020.

[Notification No. 25 /2016 F.No.196/11/2015-ITA-I]

Deepshikha

(DEEPSHIKHA SHARMA)
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

ITI
6/4/2016

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii)में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल, 2016

का .आ._______(अ), - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए अर्थात् पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक निकाय है, को इसको (बोर्ड को) होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्

(क) सहमति शुल्क / अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क;

(ख) वायु की गुणवंत्ता तथा जल की गुणवत्ता का विश्लेषण शुल्क अथवा शोर स्तर सर्वेक्षण शुल्क पर विश्लेषण शुल्क;

(ग) प्राधिकार शुल्क;

(घ) उपकर प्रतिपूर्ति तथा उपकर शुल्क;

(ङ) नेशनल एअर मॉनिट्रिंग प्रोग्राम, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों एवं इसी प्रकार की योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्ययो की प्रतिपूर्ति;

(च) पर्यावरण संबंधित कानूनों, विनियमों एवं महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश और विभिन्न पर्यावरण के विषयों की पुस्तकों की बिक्री जिसमें कोई लाभ का तत्व शामिल न हो ओर यह कार्य वाणिज्यिक प्रकृति का न हो ;

(छ) जमा पर ब्याज;

(ज) जन सूनवाई शुल्क;

(झ) वाहन उत्सर्जन निगरानी परीक्षण शुल्क;

(ञ) स्टेट एनवायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट अथारिटी द्वारा किए गए प्रसंस्करण के लिए प्राप्त शुल्क;

(ट) बोर्ड पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण, जिसमें कि कोई लाभ की बात निहित न हो या वाणिज्यिक प्रकृति का कोई क्रियाकलाप न हों के लिए संग्रहीत शुल्क;

(ठ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क और अपील शुल्क;

(ड) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए कर्ज और अग्रिम धन पर ब्याज;

(ढ) प्रदूषण खर्च / अनुपालन न करने की स्थिति में बैंक की गारंटी की जब्ती; और

(ण) विविध आय जैसेकि पुराने तथा कबाड़ की बिक्री, निविदा शुल्क, और इससे संबंधित अन्य मामले जिसमें कोई लाभ न निहित हो।

.2 यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :-

(क) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्षों में क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर के विवरणी दायर किया करेगा।

3. यह अधिसूचना पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-17, 2017-2018, 2018- 2019 और 2019-2020 के मामले में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 25 /2016, फा .सं.196/11/2015-आईटीए-I]

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में, प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।